संoसंo—9 / कोर्ट—10—15 / 2013 — ९५६ (९)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

डा0 निखिल कुमार रोहतगी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, इमामगंज, गया दिनांक 08.12.1990 को मंत्री, कारा विभाग के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए और प्रा0स्वा0केन्द्र, इमामगंज, गया बंद पाया गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें कभी नहीं देखने की बात कही एवं निरीक्षण के दौरान अस्पताल में लगे ताले एवं फैली हुई गंदगी को देखने से पता चला कि अस्पताल कई वर्षों से खुला ही नहीं था।

2. डा0 रोहतगी के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0—632(18) दिनांक 29.06.1991 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—11517 / 94 में दिनांक 23.02.95 को मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं0—1338(18) दिनांक 20.08.96 द्वारा विभागीय कार्यवाही की गई। दोनों विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोप इस आधार पर प्रमाणित पाए गए कि डा0 रोहतगी विभागीय कार्यवाही के क्रम में कभी संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए और न बचाव—बयान समर्पित किए। विभागीय ज्ञापांक—395(18) दिनांक 29.04.1991 द्वारा निलंबित होने के उपरांत निलंबन अवधि में निर्धारित मुख्यालय में भी डा0 रोहतगी उपस्थित नहीं रहे। मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—1110 / 96 में दिनांक 17.12.1996 के आलोक में पारित विभागीय आदेश सं0—395(2) दिनांक 24.07.99 द्वारा डा0 रोहतगी को इमामगंज, गया में योगदान देने का आदेश दिया गया जिसके विरूद्ध उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0—7909 / 99 दायर किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 28.04.2000 को पारित आदेश द्वारा खारिज कर दिए जाने के उपरांत उनके द्वारा दिनांक 15.05.02 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इमामगंज, गया में योगदान दिया गया।

3. विभागीय संकल्प सं0 1219(9) दिनांक 27.07.04 द्वारा डा0 निखिल कुमार रोहतगी को सेवा से बर्खास्त किया गया था। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 7922 / 2004 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 6.12.10 को पारित आदेश द्वारा विभागीय संकल्प सं0 1219(9) दिनांक 27.07.2004 को निरस्त करते हुए नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का छूट विभाग को दिया गया। तदालोक में विभागीय अधिसूचना सं0 346(9) दिनांक 7.5.16 द्वारा डा0 रोहतगी की बर्खास्तगी को निरस्त किया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं0 347(9) दिनांक 07.05.2015 द्वारा उन्हें निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध नए सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

4. उपर्युक्त कंडिका 2 में प्रतिवेदित आरोपों के लिए डा0 निखिल कुमार रोहतगी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सं0—386(9) दिनांक 12.05.15 द्वारा नए सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित की

गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित पाया गया। अधिगम की प्रति प्रेषित करते हुए विभागीय पत्रांक–1087(9) दिनांक 28.12.15 द्वारा डा0 रोहतगी से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय स्तर पर सम्यक समीक्षोपरांत दिनांक 16.02.96 से 15.05.2002 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के आरोप में डा0 रोहतगी के विरूद्ध सेवा से बर्खास्त किए जाने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया तथा इस पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई।

अतः डा0 निखिल कुमार रोहतगी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, इमामगंज, गया सम्प्रति निलंबित को दिनांक 16.02.96 से दिनांक 15.05.02 तक लगातार पॉच वर्षों से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है। डा0 रोहतगी को उनके निलंबन अवधि के लिए नियमानुसार मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा0 निखिल कुमार रोहतगी एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक: 946 (9) /स्वा0, पटना , दिनांक: 09/09/2016

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी गया/क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य मगध प्रमंडल मगध/सिविल सर्जन, गया/खगड़िया/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 निखिल कुमार रोहतगी, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, इमामगंज, गया सम्प्रति निलंबित मुख्यालय सिविल सर्जन कार्यालय, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव